न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, किशनगढ

राजस्व वाद संख्या 43/2021 (2021/43)

रेखा देवी पत्नी स्वर्गीय लालचन्द जाति प्रजापत आयु लगभग 40 वर्ष निवासी रामनेर रोड़, गांधीनगर, मदनगंज किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान – प्रार्थीया

बनाम

राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार, किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान – अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री गणेश प्रजापति

दिनांक :– 24/2/25

प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गणेश प्रजापत द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राज.अधि. के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि वाकै ग्राम मदनगंज पटवार हल्का मदनगंज भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित है जिसके खाता संख्या नया 26 के खसरा संख्या 16/1 रकबा 02 बिस्वा 10 बिस्वांसी, खसरा संख्या 16/2 रकबा 5 बीघा कुल खसरा 2 का कुल रकबा 5 बीघा 02 बिस्वा 10 बिस्वांसी में प्रार्थीया का हिस्सा राजस्व रिकार्ड अनुसार अन्तर्निहित है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम नाथीदेवी पत्नि लालचन्द का इन्द्राज किया हुआ है जबकि प्रार्थीया का सही एवं वास्तविक रिकोर्डेड नाम रेखा देवी पत्नी स्व० लालचन्द है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का घर परिवार में प्यार से बोलता नाम नाथीदेवी पत्नी लालचन्द जब प्रार्थीया के ससुर आईदान पुत्र देवाराम के फोत होने पर एवं प्रार्थीया के पति लालचन्द के फोत होने पर प्रार्थीया के ससुर के हिस्से की आराजी का राजस्व रिकार्ड में विरासत का नामान्तकरण उनके वारिसान के नाम प्रार्थीया के परिवारजन के द्वारा दर्ज करवाया गया तब प्रार्थीया का नाम घर पर बोलता नाम नाथीदेवी पत्नी लालचन्द दर्ज करवा दिया गया था उस समय प्रार्थीया को जमीन के कागजात के बारे में समझ व जानकारी नहीं थी जिसको दुरुस्त करवा कर प्रार्थीया का सही नाम रेखा देवी पत्नी स्व० लालचन्द का इन्द्राज करवा कर, इन्द्राज दुरूस्ती करवाना चाहती है। प्रार्थीया के बच्चो के स्कूल रिकोर्ड में, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह आदि सभी रिकोर्डेड दस्तावेजो में प्रार्थीया का नाम रेखा देवी पत्नी लालचन्द नाम दर्ज है प्रार्थीया की कृषि भूमि के उपरोक्त खसरा नम्बरान में प्रार्थीया का नाम नाथीदेवी पत्नी लालचन्द दर्ज होने से प्रार्थीया के अलग अलग नाम अंकित होने से प्रार्थीया को किसान कार्ड बनवाने, राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदान प्राप्त करने में एवं अपनी कृषि भूमि के विकास करने में व राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाली सुविधाएं, मुआवजा प्राप्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जबकि उक्त नाथी देवी व रेखा देवी दोनो नाम की प्रार्थीया एक ही महिला है। यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में प्रार्थीया का नाम विरासत नामान्तकरण दर्ज करवाते समय सहवन से नाथी देवी पत्नी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

द गलत अंकित हो गया है जिसको दुरुस्त करवा कर प्रार्थीया का सही एवं दस्तावेजी रिकोर्डेट नाम देवी पत्नी स्व० लालचन्द का इन्द्राज करवाना चाहती है। उक्त गलत नाम के इन्द्राज को दुरुस्त रवा कर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के दर्ज गलत नाम नाथी देवी पत्नी लालचन्द के नाम को शुद्धिकरण करवा कर प्रार्थीया का सही दस्तावेजी नाम रेखा देवी पत्नी लालचन्द के नाम से इन्द्राज दुरूस्ती करवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। यह कि अप्रार्थी भूमिधारी होने से प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थीया श्रीमान से निवेदन करती है कि ग्राम मदनगंज पटवार हल्का मदनगंज भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 1 में वर्णित कृषि आराजी में प्रार्थीया के राजस्व रिकार्ड में सहवन से दर्ज नाम नाथी देवी पत्नी लालचन्द के स्थान पर सही एवं वास्तविक दस्तावेजी रिकोर्डेड नाम रेखा देवी पत्नी लालचन्द का इन्द्राज दुरूस्ती कराकर उक्त का अंकन राजस्व रिकार्ड में किये जाने हेतु प्रार्थीया के पक्ष में आदेश प्रदान फरमाया जायें। अप्रार्थी श्रीमान तहसीलदार साहब को गलत नाम नाथी देवी पत्नी लालचन्द के स्थान पर सही दस्तावेजी नाम रेखा देवी पत्नी लालचन्द का अमल दुरुस्ती के आदेश की पालना के आदेश देने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र को दिनांक 05.04.2021 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 43/2021 पर दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी करवाई गई। दिनांक 14.05.2024 को तहसीलदार किशनगढ द्वारा जवाब पेश किया गया जिसमें उनके द्वारा जाहिर किया गया कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के नाम का अंकन नहीं है एवं प्रार्थीया की प्रार्थना वह स्वयं न्यायालय के समक्ष सिद्व करे।

दिनांक 05.02.2025 को हमारे द्वारा वकील प्रार्थीया की बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र एंव जवाब के तथ्यों को दोहराया गया।

हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गहनता से अवलोकन किया जाकर मनन किया गया। प्रार्थीया द्वारा वादअधीन भूमि में सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थीया द्वारा विवादित आराजी में विरासत का नामान्तरकरण पेश नहीं किया है एवं प्रार्थीया द्वारा ना ही सजरा अथवा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पेश किया है, प्रार्थीया द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है जिससे यह सिद्व हो कि राजस्व रिकार्ड में कोई त्रुटि हुई हो। इस प्रकार प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राज.अधि. को सिद्व करने में असफल रही है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राज.अधि. के प्रावधानों के अनुसार पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24/4/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(निशा सहारण)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)